कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5896 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 16 जून 2014

नगर मजिस्ट्रेट /नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र फर्रूखाबाद।

विनियमित क्षेत्र में कोई भी विकास आर0बी0ओ0 एक्ट के अधीन किये जाने का प्राविधान है परन्तु प्राप्त शिकायतों एवं नगर क्षेत्र के भ्रमण से यह ज्ञात हुआ है कि विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में आर0बी0ओ0 एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

आप अवगत हैं कि विनियमित क्षेत्र की व्यवस्था लागू होने के उपरान्त वि0क्षे0 का विकास आर0बी0ओ0 एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था का दायित्व आपका है। यदि विनियमित क्षेत्र के प्राविधानों का उल्लंघन पाया जाता है और आर0बी0ओ0 एक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन में कार्यालय की संलिप्तता एवं लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए आप व अवर अभियन्ता वि0क्षे0 का उत्तरदायित्व कभी भी निर्धारित किया जा सकता है और जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा।

ऐसी परिस्थितियों में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु आर0बी0ओ0 एक्ट की धाराओं का अध्ययन कर लें और उन धाराओं के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र में माह मई के अन्त तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित टिप्पणी अपने डिक्टेशन से बनवाई जाये। टिप्पणी में यह भी समावेश किया जाय कि कौन से कार्य अनियमित ढंग से किये गये हैं और इनके विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही कार्यालय द्वारा की गई है?

माह अप्रैल 2013 से माह मार्च 2014 तक की अवधि से सम्बन्धित भवन मानचित्र की पत्रावलियों का विवरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) जिससे स्पष्ट है कि लगभग 485 पत्रावलियां लम्बित हैं। जब इन पत्रावलियों में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति नहीं दी गई है, तो निश्चय ही सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा अधिकांश मामलों में निर्माण अथवा विकास कर लिया गया होगा। अतएव मात्र इसी एक वर्ष की अवधि में यह भी सूचित किया जाय कि लम्बित पत्रावलियों के सापेक्ष प्रति माह कितने स्थल निरीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा किये गये और स्थल निरीक्षण में क्या पाया गया और क्या लम्बित पत्रावलियों में लम्बित रहने के कारण से सम्बन्धित को अवगत कराया गया।

उपरोक्त विन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए विनियमित क्षेत्र के कार्य–कलापों की समीक्षा हेतु उपरोक्त सूचनायें मेरे समक्ष दिनांक 21–6–2014 को समय 6–00 बजे अवर अभियन्ता के साथ स्वंय उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

16/6/14

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।